



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक-

/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-1/मुख्य अभि०(स्तर-2)

दिनांक- /04/2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रोन्नति पर डिस्कॉम, आगरा को आवंटित अधोनामित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) को स्तम्भ सं०-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (अभि०सं०) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति पर नव तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	श्री बृजेश सिंह गंगवार (81197) (फर्रुखाबाद) (31.08.2017)	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।	मुख्य अभियन्ता (वितरण) अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़। (रिक्त पद पर)

1. तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० 5910/गोपनीय/पाकालि/(06)/2006, दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-~~3799~~ प्र०नि०/का०प्र०/तददिनांक 18/04/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।
6. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
7. उप सचिव (अ०प्र०-2अ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. कम्प्यूटर इकाई, कमरा नं० 419, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अधिकारी।
11. पी०एफ०/कट फाइल/शिविर सहायक (प्रबन्ध निदेशक कैम्प)।

(अशोक कैम्प)

अधिशायी अभियन्ता (प्रशासन)
कृते प्रबन्ध निदेशक

E.E. T.O.

332